

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(234)एम.ई./गुप-1/2017

जयपुर, दिनांक

आदेश


22 NOV 2017

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(95)डी.एम.ई./16 दिनांक 15.2.2017 के द्वारा डॉ० योगेश गुप्ता (मेरिट क्रमांक 35/सामान्य, जन्म तिथि 19.09.1977) को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ० गुप्ता को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

डॉ० गुप्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./गुप-1/1996 दिनांक 10.03.2017 के द्वारा डॉ० गुप्ता के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 14.08.2017 तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि कार्यग्रहण अवधि वृद्धि में पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज कोटा के पत्रांक प. 2()स्था० राज०/2017/1890 दिनांक 31.10.2017 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ० गुप्ता ने दिनांक 31.10.2017 तक वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ० योगेश गुप्ता उक्त नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं है। अतः डॉ० गुप्ता के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(95)डी.एम.ई./16 दिनांक 15.2.2017 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(33)भर्ती/गोपनीय/2013-14/210 दिनांक 06.09.2016 एवं एफ. 7(33)भर्ती 'ख'/2013-14/771 दिनांक 06.10.2016 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
5. डा० योगेश गुप्ता पुत्र श्री चन्दूलाल गुप्ता, 4 सी एच 20, विज्ञान नगर, कोटा (राज)-324005 (रजिस्टर्ड डाक से)।
6. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव